सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-191
21/04/2016

मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सचिवालय स्तरीय एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द्र भवन एवं बिहार लोक सेवा आयोग के नये प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास

पटना, 21 अप्रैल 2016 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने सभी को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर शुभकामनायें दी। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा दिवस का बिहार में आयोजन पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को किया जायेगा सिविल सेवा दिवस का आयोजन। यह आयोजन केन्द्र सरकार द्वारा पहले से ही किया जाता रहा है। राज्य में भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। आज इस अवसर पर बिहार लोक सेवा अधिकार के अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा अधिकार कानून 2011 से लागू किया गया। लोगों के लिये लोक सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी, इससे लोगों को काफी सुविधा मिला तथा इस व्यवस्था की काफी प्रशंसा हुयी। पहले कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिये लोगों को प्रखण्ड तथा अन्य कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में आसानी होती है। इस अधिनियम में पहले कोई फॉर्मेट नहीं था तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयॉ आ रही थी, जिसमें धीरे–धीरे सुधार किया गया। प्रारंभ में प्रमाण पत्र बनाने के लिये समय सीमा अधिक दी गयी थी, जिसे भी घटाया गया। आज जमीन संबंधी दाखिल–खारिज को छोड़कर ज्यादातर मामलों के लिये एक सप्ताह का समय सीमा दिया गया है तथा कुछ के लिये एक दिन का समय दिया गया है। अब तक तेरह करोड़ से ज्यादा आवेदन पत्रों का निष्पादन किया गया है। बिहार लोक सेवा अधिकार व्यवस्था में मिडिल मैन की भूमिका हो रही थी, हमने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि बिना पहचान बताये बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के काउंटरों का निरीक्षण करें, इससे काफी लाभ हुआ। इसी सबका परिणाम है कि आज इस अधिनियम का लोगों को लाभ मिल रहा है। आज बगैर अपील के लोगों के आवेदनों का ससमय निष्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई राज्य इसे देखकर अपने यहॉ इस अधिनियम को लागू किये हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमलोगों ने जो कुछ इनिशियेटिव लिया, उसकी चर्चा बिहार से बाहर भी हो रही है। यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है। पूरे देश में यह लागू है। बिहार में आर0टी0आई0 के साथ–साथ बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम बनाया गया, इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 इस दिशा में एक नई पहल की शुरूआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू किया था, उसके बाद जिला, अनुमण्डल, प्रखण्ड, थाना आदि के स्तर पर अधिकारियों द्वारा

जनता के दरबार कार्यक्रम का नियमित आयोजन किया जाता है। लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं, उनके शिकायतों का निराकरण भी किया जाता है। हम लोगों को उनके शिकायत के निराकरण के लिये कानूनी अधिकार देना चाहते हैं इसीलिये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 बनाया गया। पहले एक मई से लागू होना था, पर अब यह जून के प्रथम सोमवार छह जून से लागू होगा। पॉच जून को सार्वजनिक तौर पर पूरे बिहार में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर इसकी शुरूआत की जायेगी। अनुमण्डल, जिला, राज्य, विभाग स्तर पर कार्य हो रहे हैं। लोक शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना अनुमण्डल, जिला एवं राज्य स्तर पर समेकित शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना सूचना भवन के पास की जायेगी। नये भवन का निर्माण किया जायेगा, इसमें सभी विभागों के लिये अलग काउंटर होगा। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। ये अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई शिकायत करता है तो एक नीयत समय सीमा के अंदर उसके शिकायतों का निवारण हो। कोई भी शिकायत, जिसका निवारण हो सकता है, उनका निवारण होना लोगों का अधिकार होगा। इसके तहत आर0टी0आई0 के मामले, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, न्यायालय के मामले एवं सेवा संबंधित मामले नहीं आयेंगे। उनके लिये अलग व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इसे कारगर ढ़ंग से लागू करने में आप सभी लोक सेवकों की अहम भूमिका होगी। आप इसे प्रभावशाली रूप से लागू करें। यह संभव है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी शिकायत निवारण के लिये जो समय सीमा तय की गयी है, वो भी आने वाले समय में घटेगा। प्रशासनिक सुधार की दिशा में यह एक ठोस एवं प्रभावशाली कदम है। यह पूरे देश के लिये एक मिसाल होगा। अब बिहार के अधिकारियों पर इसके सफल कार्यान्वयन की जिम्मेवारी है, इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बड़े–बड़े कार्य हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज स्कूल से बाहर रहने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत 0.86 प्रतिशत रह गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहॉ वर्ष 2006 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जहॉ एक माह में 39 मरीज जाते थे, वहॉ आज लगभग आठ हजार मरीज जाते हैं। इसके अलावा सड़क, बिजली, पुल/पुलिया निर्माण आदि में काम हुआ है और आपलोगों ने किया है। अभी इसके अलावा बहुत कुछ करना है इसलिये हमलोगों ने बिहार के विकास के लिये सात निश्चय किये हैं, जिसे लागू करना है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा जी0ई0आर0 मात्र तेरह प्रतिशत है, इसे कम से कम पचास प्रतिशत तक करना है, इसके लिये हमने सभी छात्र–छात्राओं जो 12वीं के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिये चार लाख रूपये का स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, जो काम का खोज करना चाहते हैं, उन्हें दो वर्षों के लिये प्रतिमाह एक हजार रूपये का स्वयं सहायता भत्ता तथा छात्रों के कौशल विकास के लिये योजना बनायी गयी है। सभी जिलों में जिला पंजीकरण केन्द्र खोला जायेगा। इसी एक केन्द्र पर सभी प्रकार के आवेदन लिये जायेंगे। स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड एवं अन्य दो अक्टूबर से शुरू कर दिया जायेगा। 15 सितम्बर तक सभी तैयारियॉ पूरी कर ली जायेगी। इसके अलावा सात निश्चय में हर घर नल का पानी, बिजली का कनेक्शन, हर घर में शौचालय, सभी गॉव, शहर एवं कस्बों में पक्की गली एवं नाली आदि है। हमने तो सात निश्चय में से एक निश्चय महिलाओं को सरकारी सेवा में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा लागू भी कर दिया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर अनुमण्डल में आई0टी0आई0, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज आदि खोले जायेंगे, इसके लिये भूमि उपलब्ध कराना होगा। सभी जिलाधिकारी इनिशियेटिव लेकर यह कार्य करेंगे। सबसे पहले जिस जिला में संस्थान खोले जायेंगे, उनको

भी पुरस्कृत किया जायेगा। सभी पहलू पर कदम उठाये जा रहे हैं, इसमें सिविल सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

हर घर नल के पानी के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मात्र चार प्रतिशत घरों में ही नल का पानी है। अगर पी0एच0ई0डी0 विभाग की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर दिया जाय, तब भी मात्र 22 प्रतिशत घरों में ही नल का पानी सुलभ हो पायेगा। हमें तो हर घर में नल का पानी देना है, इसके लिये मिशन मोड में कार्य करना होगा। सभी कार्य विकेन्द्रित रूप में किये जायेंगे। कार्यों में तेजी लाने के लिये बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है, जो विभिन्न विभागों को उनके कार्यों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी। सात निश्चय के सफल क्रियान्वयन के बाद बिहार एक मॉडल के रूप में उभरकर आयेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कोई बड़ा निवेश नहीं आ रहा है। बड़ा निवेश विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात ही हो पायेगा परन्तु छोटे निवेश आ रहे हैं। अब तक लगभग आठ हजार करोड़ रूपये का निवेश आ चुका है, फिर भी बिहार का विकास दर दो अंकों में है। यह विकास दर जारी रहेगा, घटेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से लोगों का जो पैसा बचेगा, वह दूसरे जगहों पर खर्च होगा, इससे अन्य क्षेत्रों का विकास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तौर तरीके से काम करना चाहते हैं। आप मन लगाकर कार्य करें, संसाधनों की कमी नहीं होगी। हमने हर चीज में स्पष्ट निर्णय लिया है। सात निश्चय में भी स्पष्टता होगी। आप इनका सफल क्रियान्वयन करें। बिहार की सिविल सेवा की इससे इज्जत बढ़ेगी। आप अपनी जिम्मेवारियों को पूरी मुस्तैदी से निभायें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कार्य को अच्छे ढ़ंग से निभायेंगे। बिहार विकास के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ेगा तथा बिहार प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक मॉडल बन सकेगा।

सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ 36 लाख रूपये की लागत से बनायी जा रही सचिवालय स्तरीय एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द्र भवन एवं 37 करोड़ 61 लाख रूपये की लागत से बनने वाले बिहार लोक सेवा आयोग के नये प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के लोगो का अनावरण किया गया तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के पोर्टल को लॉच किया गया। इस अवसर पर चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना एवं बिहार सरकार के बीच एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किया गया। अब बिहार राज्य के अधिकारियों को चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान द्वारा इक्सक्यूटिव मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इस अवसर पर सचिव उद्योग डॉ0 एस0 सिद्धार्थ द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी तथा प्रधान सचिव सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग श्री ब्रजेश मेहरोत्रा द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन के प्रचार–प्रसार हेतु बनायी गयी मीडिया प्लान के संबंध में जानकारी दी गयी।

सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री आमिर सुबहानी द्वारा मुख्यमंत्री को प्रतीक चिह्न भेंट किया गया।

बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा जहानाबाद (प्रथम स्थान), लखीसराय (द्वितीय स्थान) तथा खगड़िया एवं दरभंगा (तृतीय स्थान) के जिलाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही श्री केतन कुमार कार्यपालक सहायक जिला आपूर्ति शाखा जहानाबाद को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के लोगो को डिजाइन करने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह एवं प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री आमिर सुबहानी द्वारा भी अधिकारियों को संबोधित किया गया।

इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक श्री पी0 मुकुन्द दास, विभागीय जॉच आयुक्त श्रीमती अमिता पॉल, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन तथा राजस्व एवं भूमि सुधार श्री ब्यासजी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे।

******